राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ10(4)ग्रावि/नरेगा/अधिशाषी अभियन्ता/2010 जयपुर दिनांक 25 APR 2012

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
उदयपुर।

विषयः--महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अधिशाषी अभियन्ताओं को निवास पर दूरभाष बिल की राशि में 1000/ रूपये का पुर्नभरण बाबत।

सन्दर्भः–आपका पत्र कमांक एफ–17(36) जी.प./टेली बिल/महानरेगा/2011–12/738 दिनांक 27.11.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिला स्तर पर अधिशाषी अभियन्ताओं को विभाग के परिपत्र 20.06.2008 के अनुसार निवास के टेलीफोन हेतु अधिकतम 1000/–रू प्रतिमाह के पुर्नभरण की जो सुविधा दी गई थी। उक्त सुविधा मोबाईल फोन (सीयूजी) सुविधा देने के उपरान्त भी योजनान्तर्गत लाभ देय है अथवा नहीं के क्रम में वित्त विभाग के परिपत्र 05.08.2010 के अनुसार जिला स्तर पर कार्यरत अधिशाषी अभियन्ता नरेगा को निवास पर फोन सुविधा का पुर्नभरण नही किया जा रहा है, तो इस विभाग के पत्र दिनांक 20.06.2008 के अनुसार प्रतिमाह 1000/–रू का पुर्नभरण बेसिक, मोबाइल अथवा बेसिक एवं मोबाइल दोनों मय इन्टरनेट तथा ब्रोडबेन्ड की सुविधा यथावत उपरोक्त सीमा तक देय है।

भवदीय

(बद्रीनारायण)
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस

प्रतिलिपि :–

1 समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस, राजस्थान।
2 रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस